

दिनांक 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
फसलों और फलों का निर्यात

*150. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:.

श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) हमारे देश द्वारा निर्यात की जाने वाली फसलों और फलों का ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों को उक्त उत्पादों का निर्यात किया जाता है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार निर्यात की मात्रा कितनी रही है;
- (ग) क्या कई देशों ने अपने आयात शुल्क में भारी वृद्धि की है. और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में संतरे का कितना निर्यात किया गया;
- (ङ) क्या बांग्लादेश ने नागपुरी संतरे पर आयात शुल्क में भारी वृद्धि की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या उक्त वृद्धि के कारण संतरे के निर्यात के साथ-साथ अन्य निर्यात उत्पादों की मात्रा में आधी कमी आई है और घरेलू बाजारों में भी कीमतों में गिरावट आई है और यदि हां, तो उक्त घटना से प्रतिकूल रूप से प्रभावित राज्यों और फसलों का ब्यौरा क्या है.
- (छ) क्या सरकार ने उक्त घटना की कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और
- (ज) संतरे की खेती करने वाले किसानों, अन्य किसानों और व्यापारियों को निर्यात सम्बन्धी हानि से बचाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से सहायक उपाय और पहल की गई हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ज): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने और श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा "फसलों और फलों का निर्यात" के संबंध में पूछा गया दिनांक 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 150 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) प्राथमिक और मूल्यवर्धित उत्पाद को मिलाकर बने भारत के कृषि निर्यात बास्केट में से वे फसलें, जो भारत के कृषि निर्यात के महत्वपूर्ण भाग हैं, गैर-बासमती चावल, बासमती चावल, मसाले, ताजे फल और ताजी सब्जियां आदि हैं। देश से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख फल अंगूर, केला, अनार, आम, सेब, संतरा आदि हैं। इन उत्पादों के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य बांग्लादेश, चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि हैं।

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रमुख फसलों के निर्यात की मात्रा का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। इसी अवधि के दौरान फलों के निर्यात की मात्रा का ब्यौरा अनुबंध -II में दिया गया है।

(ग) आयातक देश उत्पाद की प्रकृति, घरेलू मांग, घरेलू वित्तीय स्थिति, विदेशी मुद्रा भंडार आदि जैसे कई कारकों के आधार पर समय-समय पर विभिन्न उत्पादों के लिए आयात शुल्क दरों में परिवर्तन करते हैं जो उनका सम्प्रभु अधिकार है। तथापि, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य देश आयात शुल्क दरों को उनके द्वारा सहमत बाध्य प्रशुल्क दरों के भीतर रखने के लिए बाध्य हैं।

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान देश के संतरे के निर्यात की मात्रा के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

मात्रा. एमटी में				
2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
43098.28	93749.41	162540.10	119548.04	73157.88
स्रोत: डीजीसीआई एवं एस				

(ङ) वर्ष 2021-22 के बांग्लादेश बजट से पहले, संतरे के लिए कुल कर प्रभाव (टीटीआई) 89.32% था। 20% साफ्टा छूट के साथ, प्रभावी शुल्क 69.32% था। वर्ष 2021-22 के बजट में संतरे पर 20% नियामक शुल्क लगाया गया, जिससे टीटीआई बढ़कर 113.8% हो गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावी शुल्क दर 93.8% हुई।

(च) से (ज) बांग्लादेश द्वारा आयात शुल्क दरों में उक्त वृद्धि ने भारत के संतरों के निर्यात को प्रभावित किया है, जैसा कि ऊपर (घ) में दिए गए ब्यौरे में दर्शाया गया है, क्योंकि बांग्लादेश भारतीय संतरों के लिए एक प्रमुख निर्यात गंतव्य है। तथापि, चूंकि कुल उत्पादन की तुलना में संतरे के निर्यात की मात्रा बहुत कम है, इसलिए कम निर्यात के कारण घरेलू मूल्यों पर प्रभाव

पड़ने की संभावना नहीं है। हालांकि, देश के समग्र कृषि निर्यात में 2022-23 में वृद्धि दर्ज की गई और इस प्रकार, अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

इस मामले को ढाका स्थित भारतीय मिशन के माध्यम से लगातार उठाया गया है और इसे भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय बैठकों अर्थात् 21-22 अगस्त, 2023 को आयोजित सीमा शुल्क संबंधी 14वीं संयुक्त कार्य दल की बैठक और 26-27 सितंबर, 2023 को भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित व्यापार संबंधी 15वीं संयुक्त कार्य दल की बैठक में उठाया गया था। भारतीय पक्ष ने बांग्लादेश पक्ष से अनुरोध किया कि वह भारत में संतरा किसानों के हित में अपनी नीति पर फिर से विचार करे और शुल्कों को 2021-22 के बजट से पहले के स्तर तक कम करे। व्यापार सम्बन्धी 15वें संयुक्त कार्य समूह के दौरान, बांग्लादेश पक्ष ने जवाब दिया कि इस मद पर सर्वाधिक मित्र राष्ट्र (एमएफएन) के आधार पर विनियामक शुल्क लागू किया गया अर्थात् यह बिना किसी भेदभाव के सभी देशों से आयात लागू है।

सरकार संतरे सहित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सहायता प्रदान कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय फलों, सब्जियों, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस को शामिल करते हुए बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वर्ष 2014-15 से एक केन्द्र प्रायोजित योजना समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन कर रहा है। एमआईडीएच के अंतर्गत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निकाय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को संतरे के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश प्राप्त है। एपीडा ने उपज की गुणवत्ता को बनाए रखने के उद्देश्यों से संतरे सहित फलों और सब्जियों के निर्यात के लिए एक व्यापक पैक हाउस मान्यता योजना आरंभ की है। एपीडा ने संतरे सहित ताजे फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए 214 पैक हाउस पंजीकृत किए हैं।

इसके अतिरिक्त, एपीडा अपनी निर्यात संवर्धन योजना के विभिन्न घटकों अर्थात् बाजार विकास, अवसंरचना विकास और गुणवत्ता विकास के अंतर्गत संतरे सहित अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एपीडा क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) का आयोजन करके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी; आयातक देशों के साथ स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस), व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं (टीबीटी) और बाजार पहुंच के मुद्दों को उठाकर; और विभिन्न देशों में निर्यात अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारतीय मिशनों के साथ नियमित वार्ता करके निर्यातकों की निर्यात को बढ़ावा देने में भी सहायता करता है।

दिनांक 13.12.2023 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 150 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

अनुबंध- I

भारत का फसलों का निर्यात					
मात्रा. '000 मीट्रिक टन में					
विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
चावल (बासमती के अलावा)	7648.00	5056.28	13149.21	17288.96	17792.14
चावल-बासमती	4414.61	4454.77	4630.21	3943.72	4561.21
मसाले	1133.89	1193.44	1607.06	1427.72	1312.26
गेहूँ	226.63	219.69	2154.97	7244.84	4695.80
अन्य अनाज	1257.24	501.12	3075.66	3859.36	3628.12
ताजी सब्जियां	3192.49	1930.51	2339.68	2468.40	3383.59
ताजे फल (मेवे सहित)	823.09	834.84	973.18	1166.44	1096.09
मूंगफली	489.19	664.44	638.32	514.12	669.51
अपशिष्ट सहित कपास कच्चा	1143.07	657.81	1213.98	1258.63	318.47
दालें	287.13	232.08	276.93	387.21	762.67
तिल के बीज	312.00	282.26	273.26	242.15	228.65
अन्य तिलहन	213.84	89.64	84.57	60.24	58.23
नाइजर बीज	13.37	13.83	19.59	6.03	7.74

स्रोत: डीजीसीआई एवं एस

दिनांक 13.12.2023 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 150 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

अनुबंध- II

भारत का ताजे फलों का निर्यात						
						मात्रा एमटी में
एचएसकोड	उत्पाद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
8061000	अंगूर, ताजा	246133.77	193690.51	246107.37	263075.62	267950.39
8039010	केले, ताजा	134503.4	195745.85	232518.22	376572.37	361841.61
8109010	अनार, ताजा	67891.8	80547.74	67976.66	99043.09	62280.08
8045029	अन्य आम	0	0	15795.09	17448.9	17257.28
8081000	सेब, ताजा	16744.61	21182.09	30606.82	31976.52	52875.88
8051000	संतरा, ताजा/सूखे	43098.28	93749.41	162540.1	119548.04	73157.88
8045090	अन्य मैंगोस्टीन ताजा/सूखा	2892.87	4505.88	7544.14	18229.47	15908.67
8071100	तरबूज, ताजा	33366.46	33750.57	31739.02	32694.52	44999.78
8109090	अन्य ताजे फल	15203.39	10690.18	9894.39	13629.93	10350.55
8045021	अल्फांसो (हापुस)	0	0	3195.85	5994.86	2829.76
8055000	नींबू	21121.33	14485.92	18788.84	18523.9	11341.23
8045026	केसर	0	0	983.73	2319.08	1749.97
8043000	अनानास ताजा या सूखा हुआ	6942.12	6682.93	4545.32	7665.42	6961.85
8045010	ताजा/सूखे अमरूद	956.69	1697.14	2886.37	5339.21	5680.92
8072000	पपौव (पपीता), ताजा/सूखा	9785.61	8273.36	7618.72	7754.73	9440.71
8071910	खरबूजे	0	0	4609.63	4215.76	3934.42
8109020	इमली, ताजा	3328.82	2293.89	2897.87	4920.12	2793.59
8045022	बंगनपल्ली	0	0	830.55	1674.04	856.91
8109030	चीकू (चीको) ताजा	1423.6	1133.78	657.5	1023.33	972.96
8041010	खजूर, ताजा/सूखे (गीले खजूर को छोड़कर)	78.42	460.99	677.44	1320.87	1916.62
	अन्य फल	61386.54	71036.61	24340.23	19009.83	10104.81
	कुल	664857.7	739926.9	876753.9	1051980	965205.9

स्रोत: डीजीसीआई एवं एस

दिनांक 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
फसलों और फलों का निर्यात

*150. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:.

श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) हमारे देश द्वारा निर्यात की जाने वाली फसलों और फलों का ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों को उक्त उत्पादों का निर्यात किया जाता है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार निर्यात की मात्रा कितनी रही है;
- (ग) क्या कई देशों ने अपने आयात शुल्क में भारी वृद्धि की है. और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में संतरे का कितना निर्यात किया गया;
- (ङ) क्या बांग्लादेश ने नागपुरी संतरे पर आयात शुल्क में भारी वृद्धि की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या उक्त वृद्धि के कारण संतरे के निर्यात के साथ-साथ अन्य निर्यात उत्पादों की मात्रा में आधी कमी आई है और घरेलू बाजारों में भी कीमतों में गिरावट आई है और यदि हां, तो उक्त घटना से प्रतिकूल रूप से प्रभावित राज्यों और फसलों का ब्यौरा क्या है.
- (छ) क्या सरकार ने उक्त घटना की कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और
- (ज) संतरे की खेती करने वाले किसानों, अन्य किसानों और व्यापारियों को निर्यात सम्बन्धी हानि से बचाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से सहायक उपाय और पहल की गई हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ज): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने और श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा "फसलों और फलों का निर्यात" के संबंध में पूछा गया दिनांक 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 150 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) प्राथमिक और मूल्यवर्धित उत्पाद को मिलाकर बने भारत के कृषि निर्यात बास्केट में से वे फसलें, जो भारत के कृषि निर्यात के महत्वपूर्ण भाग हैं, गैर-बासमती चावल, बासमती चावल, मसाले, ताजे फल और ताजी सब्जियां आदि हैं। देश से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख फल अंगूर, केला, अनार, आम, सेब, संतरा आदि हैं। इन उत्पादों के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य बांग्लादेश, चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि हैं।

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रमुख फसलों के निर्यात की मात्रा का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। इसी अवधि के दौरान फलों के निर्यात की मात्रा का ब्यौरा अनुबंध -II में दिया गया है।

(ग) आयातक देश उत्पाद की प्रकृति, घरेलू मांग, घरेलू वित्तीय स्थिति, विदेशी मुद्रा भंडार आदि जैसे कई कारकों के आधार पर समय-समय पर विभिन्न उत्पादों के लिए आयात शुल्क दरों में परिवर्तन करते हैं जो उनका सम्प्रभु अधिकार है। तथापि, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य देश आयात शुल्क दरों को उनके द्वारा सहमत बाध्य प्रशुल्क दरों के भीतर रखने के लिए बाध्य हैं।

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान देश के संतरे के निर्यात की मात्रा के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

मात्रा. एमटी में				
2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
43098.28	93749.41	162540.10	119548.04	73157.88
स्रोत: डीजीसीआई एवं एस				

(ङ) वर्ष 2021-22 के बांग्लादेश बजट से पहले, संतरे के लिए कुल कर प्रभाव (टीटीआई) 89.32% था। 20% साफ्टा छूट के साथ, प्रभावी शुल्क 69.32% था। वर्ष 2021-22 के बजट में संतरे पर 20% नियामक शुल्क लगाया गया, जिससे टीटीआई बढ़कर 113.8% हो गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावी शुल्क दर 93.8% हुई।

(च) से (ज) बांग्लादेश द्वारा आयात शुल्क दरों में उक्त वृद्धि ने भारत के संतरों के निर्यात को प्रभावित किया है, जैसा कि ऊपर (घ) में दिए गए ब्यौरे में दर्शाया गया है, क्योंकि बांग्लादेश भारतीय संतरों के लिए एक प्रमुख निर्यात गंतव्य है। तथापि, चूंकि कुल उत्पादन की तुलना में संतरे के निर्यात की मात्रा बहुत कम है, इसलिए कम निर्यात के कारण घरेलू मूल्यों पर प्रभाव

पड़ने की संभावना नहीं है। हालांकि, देश के समग्र कृषि निर्यात में 2022-23 में वृद्धि दर्ज की गई और इस प्रकार, अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

इस मामले को ढाका स्थित भारतीय मिशन के माध्यम से लगातार उठाया गया है और इसे भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय बैठकों अर्थात् 21-22 अगस्त, 2023 को आयोजित सीमा शुल्क संबंधी 14वीं संयुक्त कार्य दल की बैठक और 26-27 सितंबर, 2023 को भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित व्यापार संबंधी 15वीं संयुक्त कार्य दल की बैठक में उठाया गया था। भारतीय पक्ष ने बांग्लादेश पक्ष से अनुरोध किया कि वह भारत में संतरा किसानों के हित में अपनी नीति पर फिर से विचार करे और शुल्कों को 2021-22 के बजट से पहले के स्तर तक कम करे। व्यापार सम्बन्धी 15वें संयुक्त कार्य समूह के दौरान, बांग्लादेश पक्ष ने जवाब दिया कि इस मद पर सर्वाधिक मित्र राष्ट्र (एमएफएन) के आधार पर विनियामक शुल्क लागू किया गया अर्थात् यह बिना किसी भेदभाव के सभी देशों से आयात लागू है।

सरकार संतरे सहित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सहायता प्रदान कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय फलों, सब्जियों, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस को शामिल करते हुए बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वर्ष 2014-15 से एक केन्द्र प्रायोजित योजना समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन कर रहा है। एमआईडीएच के अंतर्गत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निकाय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को संतरे के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश प्राप्त है। एपीडा ने उपज की गुणवत्ता को बनाए रखने के उद्देश्यों से संतरे सहित फलों और सब्जियों के निर्यात के लिए एक व्यापक पैक हाउस मान्यता योजना आरंभ की है। एपीडा ने संतरे सहित ताजे फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए 214 पैक हाउस पंजीकृत किए हैं।

इसके अतिरिक्त, एपीडा अपनी निर्यात संवर्धन योजना के विभिन्न घटकों अर्थात् बाजार विकास, अवसंरचना विकास और गुणवत्ता विकास के अंतर्गत संतरे सहित अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एपीडा क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) का आयोजन करके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी; आयातक देशों के साथ स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस), व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं (टीबीटी) और बाजार पहुंच के मुद्दों को उठाकर; और विभिन्न देशों में निर्यात अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारतीय मिशनों के साथ नियमित वार्ता करके निर्यातकों की निर्यात को बढ़ावा देने में भी सहायता करता है।

दिनांक 13.12.2023 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 150 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

अनुबंध- I

भारत का फसलों का निर्यात					
मात्रा. '000 मीट्रिक टन में					
विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
चावल (बासमती के अलावा)	7648.00	5056.28	13149.21	17288.96	17792.14
चावल-बासमती	4414.61	4454.77	4630.21	3943.72	4561.21
मसाले	1133.89	1193.44	1607.06	1427.72	1312.26
गेहूँ	226.63	219.69	2154.97	7244.84	4695.80
अन्य अनाज	1257.24	501.12	3075.66	3859.36	3628.12
ताजी सब्जियां	3192.49	1930.51	2339.68	2468.40	3383.59
ताजे फल (मेवे सहित)	823.09	834.84	973.18	1166.44	1096.09
मूंगफली	489.19	664.44	638.32	514.12	669.51
अपशिष्ट सहित कपास कच्चा	1143.07	657.81	1213.98	1258.63	318.47
दालें	287.13	232.08	276.93	387.21	762.67
तिल के बीज	312.00	282.26	273.26	242.15	228.65
अन्य तिलहन	213.84	89.64	84.57	60.24	58.23
नाइजर बीज	13.37	13.83	19.59	6.03	7.74

स्रोत: डीजीसीआई एवं एस

दिनांक 13.12.2023 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 150 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

अनुबंध- II

भारत का ताजे फलों का निर्यात						
						मात्रा एमटी में
एचएसकोड	उत्पाद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
8061000	अंगूर, ताजा	246133.77	193690.51	246107.37	263075.62	267950.39
8039010	केले, ताजा	134503.4	195745.85	232518.22	376572.37	361841.61
8109010	अनार, ताजा	67891.8	80547.74	67976.66	99043.09	62280.08
8045029	अन्य आम	0	0	15795.09	17448.9	17257.28
8081000	सेब, ताजा	16744.61	21182.09	30606.82	31976.52	52875.88
8051000	संतरा, ताजा/सूखे	43098.28	93749.41	162540.1	119548.04	73157.88
8045090	अन्य मैंगोस्टीन ताजा/सूखा	2892.87	4505.88	7544.14	18229.47	15908.67
8071100	तरबूज, ताजा	33366.46	33750.57	31739.02	32694.52	44999.78
8109090	अन्य ताजे फल	15203.39	10690.18	9894.39	13629.93	10350.55
8045021	अल्फांसो (हापुस)	0	0	3195.85	5994.86	2829.76
8055000	नींबू	21121.33	14485.92	18788.84	18523.9	11341.23
8045026	केसर	0	0	983.73	2319.08	1749.97
8043000	अनानास ताजा या सूखा हुआ	6942.12	6682.93	4545.32	7665.42	6961.85
8045010	ताजा/सूखे अमरूद	956.69	1697.14	2886.37	5339.21	5680.92
8072000	पपौव (पपीता), ताजा/सूखा	9785.61	8273.36	7618.72	7754.73	9440.71
8071910	खरबूजे	0	0	4609.63	4215.76	3934.42
8109020	इमली, ताजा	3328.82	2293.89	2897.87	4920.12	2793.59
8045022	बंगनपल्ली	0	0	830.55	1674.04	856.91
8109030	चीकू (चीको) ताजा	1423.6	1133.78	657.5	1023.33	972.96
8041010	खजूर, ताजा/सूखे (गीले खजूर को छोड़कर)	78.42	460.99	677.44	1320.87	1916.62
	अन्य फल	61386.54	71036.61	24340.23	19009.83	10104.81
	कुल	664857.7	739926.9	876753.9	1051980	965205.9

स्रोत: डीजीसीआई एवं एस

ड त फर्त त
धश्चफण'ध
धश्चफण श्चड

थण

थ' फड
तर्त' फ

श्रु' श्रुफ त' त श्रु' ई' श्य'
छन' फच ध्ण तफ ज फ ण'

1612. ख' थ' श्चधत ध

णण धश्चफणउ त णव' ' ' त श्रु'

- (णण ड त' फ तण फ' ' ' त्घ छन' फच ध्ण तफ ज फ ण' ब त्ब ब;
(ण्ण्ण ब, फ ज णत णण ब उ त, ण त फ' णण ड ध ब;
(णण फवण त्पछ ई फफ' फछ ण छन श्च थ श्च धप ड त फ' धन ध ब
धश्च' ब; उ त
(ण्ण्ण ब, फ ज णत णण ब उ त ण्ण्ण ब, फ' णण' त्घ ब?

त
धश्चफण'ध थण तफण
रुण थ

- (उ त ड त छन' फच ई ध्ण तफ ज त ब श्च धप' छत,
फवण त्पछ ई फफ छन' फच ड त' ध्ण त धश्च' धश्च छ ब
(उ त' ड त ण तर्त' ध' ' ट त' णफ ई श्रु . टख ड त फ श्चछन णभ' धन
ई ख, ' , ' ख त ब थ 2000 फ ध त 2023 ' ई फफ फछ ण छन ड त ण
ध' धन' ण, श्च' खथत' ख' त' आ थ त श्रु' ' त्घ त्घ. '
ज्णज ज श्च' श्च' श्रुण ण ब

फ	छन'	ई ख, श्च ण त' खथत
1	फफ त त	13,877
2	बत	210
3	फ' छ त	390
4	ई	544
5	' त	152
6	श्च	10

/ त /

दिनांक 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
समुद्री खाद्य निर्यात

1617. श्री सुदर्शन भगत:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विशेषकर वैश्विक महामारी के मद्देनजर समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई नई कार्यनीति अपनाई गई थी; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) जी हाँ, सरकार ने वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक संगठन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के माध्यम से देश से समुद्री उत्पादों के निर्यात संवर्धन, विशेषकर वैश्विक महामारी के आलोक में, के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) को वर्चुअल और वास्तविक दोनों मोड में आयोजित करना, रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठकें (आरबीएसएम) और समुद्री खाद्य आधारित मूल्यवर्धित उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्यात के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। नए बाजारों में निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए, एमपीईडीए ने विभिन्न समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए उत्पाद और देश विशिष्ट प्रोफाइलिंग भी की है। समुद्री खाद्य निर्यातकों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, एमपीईडीए ने निर्यात सुविधा प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है और विभिन्न नियामक अनुपालनों को युक्तिसंगत बनाया है।

इसके अतिरिक्त, एमपीईडीए ने अंडमान द्वीप में विशिष्ट रोगजनक-मुक्त (एसपीएफ) टाइगर झींगा प्रजनन परियोजना के लिए एक न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की है, जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनाने और झींगा उत्पादन के साथ-साथ इसके निर्यात को बढ़ावा मिलने की आशा

है। भारतीय समुद्री खाद्य आधारित मूल्य वर्धित उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, सरकार ने बजट 2023-24 में विभिन्न जलीय कृषि आदानों पर आयात शुल्क को कम करने की भी घोषणा की है जैसे कि मछली लिपिड तेल (एचएस 1504 20) और अल्गल प्राइम (आटा) (एचएस 2102 2000) पर आयात शुल्क को 30% से घटाकर 15% करना और फिशमील (एचएस 2301 20) क्रिल मील (एचएस 2301 20) और खनिज और विटामिन प्रीमिक्सेस (एचएस 2309 90 90) पर 15% से घटाकर 5% करना । निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) दरों को भी विभिन्न समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए 2.5% से बढ़ाकर 3.1% कर दिया गया है और प्रति किलोग्राम अधिकतम मूल्य सीमा को बढ़ाकर 69.00 रुपये कर दिया गया है।

एमपीईडीए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है जैसे मछुआरों के लिए अच्छी हैंडलिंग पद्धतियों, पर हार्बर और प्री-प्रोसेसिंग केन्द्र आधारित प्रशिक्षण फसलपोरान्त हानियों में कमी, आयातक देशों की गुणवत्ता और मानकों से संबंधित आवश्यकताओं, समुद्री खाद्य निर्यात में मूल्य वर्धन पर प्रशिक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रौद्योगिकीविदों के लिए जोखिम विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं (एचएसीसीपी) पर प्रशिक्षण आदि।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत से समुद्री खाद्य निर्यात 2020-21 में 5957.37 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2022-23 में 8073.03 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है, जिसमें 35.51% की वृद्धि दर्ज की गई है।

दिनांक 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
आमों का निर्यात

1618. श्री एन. रेड्डप्प:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जीआई प्रमाणन के पश्चात् बानागनपल्ली और सुवर्णरेखा के वार्षिक निर्यात का ब्यौरा क्या है;
- (ख) उपर्युक्त आमों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) चूंकि सुवर्णरेखा आम के लिए कोई अलग एचएस कोड नहीं है, इसलिए इस किस्म के अनन्य निर्यात डेटा उपलब्ध नहीं है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए बंगापल्ली आमों के निर्यात का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	मात्रा. (एमटी)	मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर)
2020-21	830.55	1.46
2021-22	1674.03	3.01
2022-23	856.91	2.00
2023-24 (अप्रैल-सितंबर)	899.67	2.81
स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस		

(ख) और (ग) वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निकाय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को बंगापल्ली और सुवर्णरेखा किस्मों सहित आम के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिकार है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एपीडा ने भारतीय पैकेजिंग संस्थान के सहयोग से आम सहित संभाव्य फलों और सब्जियों के लिए पैकेजिंग मानक और विनिर्देश विकसित किए हैं। एपीडा ने उपज की गुणवत्ता को संरक्षित करने के उद्देश्य से आम सहित फलों और सब्जियों के निर्यात के लिए एक व्यापक पैक हाउस रिकॉगनिशन स्कीम भी शुरू की है। एपीडा ने अभिज्ञात बाजारों में निर्यात के लिए आम सहित ताजे फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए 214 पैक हाउस पंजीकृत किए हैं। एपीडा ने नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिस (एनपीपीओ) और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (आईसीएआर) के सहयोग से आम के निर्यात के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए समुद्री प्रोटोकॉल के विकास की सुविधा प्रदान की है।

इसके अलावा, एपीडा अपनी निर्यात प्रोत्साहन योजना के विभिन्न घटकों अर्थात् बाजार विकास, अवसंरचना विकास और गुणवत्ता विकास के तहत आम सहित अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एपीडा क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित करके, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी करके; आयातक देशों के साथ स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस), व्यापार में तकनीकी बाधाएं (टीबीटी) और बाजार पहुंच के मुद्दे उठाकर; और विभिन्न देशों में निर्यात के अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारतीय मिशनो के साथ नियमित बातचीत करके निर्यातकों को निर्यात को बढ़ावा देने में भी सहायता करता है।

13 , 2023

l

1638. . . õ :
:
:
. y :
. :
. :
l

â é

() â õ l é ñ é - ø

â ;

() ñ l l :

() l

;

() â l ,

() , ñ ø â ;

() â ñ l l ?

é é
()

() , , é l

é ñ l ()
l ñ y / ,

/ , , é ñ
 l l ()
 ñ l l , l
 l ñ / l l
 1/4 õ
 õ é ñ
 â 1/4 l
 ú l â l
 ô
 l
 () ñ l l l

:

l	()	(.)
2020-21	232518.22	98.86
2021-22	376572.37	157.86
2022-23	361841.61	174.83
2023-24 (-)	236470.92	108.08

:

() ç ñ ç

() () () , - ()
 , l ÿ l ;
 ç ç () , ÿ ()
 ; õ l
 l l

() l ñ l , ñ l
 õ ñ l

दिनांक 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

आसियान देशों के साथ सहयोग

1675. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के एसोसिएशन (आसियान) के बीच कनेक्टिविटी, व्यापार और डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव तैयार किया है और वार्षिक आसियान भारत शिखर सम्मेलन में कोविड-19 के बाद नियम आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण का भी आह्वान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या सरकार ने दक्षिण-पूर्व एशिया, भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारा स्थापित करने की भी घोषणा की है और आसियान भागीदारों के साथ नई दिल्ली के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्टैक को साझा करने की पेशकश की है तथा इस प्रस्ताव में आतंकवाद, आतंक के वित्तपोषण और गलत साइबर सूचना के विरुद्ध सामूहिक लड़ाई करने और बहुपक्षीय मंचों पर वैश्विक दक्षिण द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को उठाने का आह्वान शामिल था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है?,

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) जी हाँ। 20 वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन 7 सितंबर 2023 को जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। भारत-आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित 12-सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें कनेक्टिविटी, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव, समकालीन चुनौतियों का समाधान, लोगों से लोगों के बीच संपर्क और रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करना शामिल है:

- i. बहु-मोडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारे की स्थापना जो दक्षिण पूर्व एशिया-भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप को जोड़ती है
- ii. भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को आसियान भागीदारों के साथ साझा करने की पेशकश की गई
- iii. डिजिटल परिवर्तन और द्वितीय कनेक्टिविटी में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल भविष्य के लिए आसियान-भारत)फंड की घोषणा की
- iv. हमारी भूमिका को बढ़ावा देने के लिए, भारत और आसियान के बीच आसियान-भारत)फंड (ईआरआईए) को समर्थन के तहत नवीनीकरण की घोषणा की गई
- v. बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साक्षा के सामने इ च च थ

दिनांक 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

चाय और मसालों हेतु प्रारूप विधेयक

1714. डॉ. पोन गौतम सिगामणि:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने चाय और मसालों हेतु प्रारूप विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए हितधारकों के साथ चर्चा की थी;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इस बारे में चल रही योजनाएं बागान-उत्पादों के लिए वित्तीय आवंटन के साथ जारी रहेंगी, जबकि, संशोधित योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या उक्त योजनाएं क्षेत्रों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगी और वस्तुओं के मूल्यवर्धन पर जोर देंगी; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ख): जी हां, 'चाय (संवर्धन और विकास) विधेयक' और 'मसाला (संवर्धन और विकास) विधेयक' के मसौदे को राज्य सरकारों, एसोसिएशनों, संगठनों और आम जनता सहित हितधारकों से सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए वाणिज्य विभाग और बोर्ड के सार्वजनिक डोमेन/वेबसाइट पर 10.01.2022 से 09.04.2022 तक 3 महीने के लिए रखा गया था। इसके अलावा, उपरोक्त दो मसौदा विधेयकों के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श भी किया गया है।

(ग) से (ङ.): प्लांटेशन कमोडिटी बोर्ड अर्थात् चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड और मसाला बोर्ड क्रमशः "चाय विकास और संवर्धन योजना", "एकीकृत कॉफी विकास परियोजना", "प्राकृतिक रबर क्षेत्र

का सतत और समावेशी विकास" और "मसालों के निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार के लिए और इलायची के अनुसंधान एवं विकास के लिए एकीकृत योजना" नामक योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं जो वर्तमान में चल रही हैं।

प्रस्तावित स्कीमें, जिनका प्रस्ताव किया जा रहा है, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ, संबंधित क्षेत्रों के स्टैकहोल्डरों को बोर्ड के माध्यम से वित्तीय और तकनीकी सहायता के प्रावधानों के तहत उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता उन्नयन, अनुसंधान, निर्यात संवर्धन, ब्रांड प्रचार आदि में सुधार के लिए कार्यकलाप शामिल हैं। प्रस्तावित योजनाओं में मूल्यवर्धन के लिए विशिष्ट कार्यक्रम भी शामिल हैं जैसे चाय के मूल्यवर्धन में ब्लेण्डिंग और पैकेजिंग इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सहायता, कॉफी उपचार कार्यों और रोस्टिंग और ग्राइण्डिंग इकाइयों को सहायता, मसालों के प्रसंस्करण के लिए तकनीकी और अवसंरचनात्मक हस्तक्षेप आदि। योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए परामर्श प्रक्रिया पूरी हो गयी है।

दिनांक 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
बासमती चावल के निर्यात मूल्यों की समीक्षा

1807. श्री घनश्याम सिंह लोधी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बासमती चावल के निर्यात मूल्यों की समीक्षा की जा रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने मूल्यों में संशोधन पर विचार करते समय किसानों, निर्यातकों और उद्योग विशेषज्ञों जैसे प्रमुख हितधारकों से परामर्श किया है; और
- (घ) यदि हां, तो ऐसे परामर्शों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) सरकार को इस आशय की विश्वसनीय फील्ड रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं कि गैर-बासमती सफेद चावल, जिसका निर्यात दिनांक 20 जुलाई, 2023 से प्रतिबंधित कर दिया गया है, का निर्यात बासमती चावल के एचएस कोड के तहत किया जा रहा है। गैर-बासमती चावल के अवैध निर्यात को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने दिनांक 26 अगस्त 2023 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को केवल 1200 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन और उससे अधिक के मूल्य के बासमती निर्यात के लिए अनुबंध पंजीकृत करने के निर्देश जारी किए। हितधारकों के व्यापक परामर्श के बाद, सरकार ने दिनांक 26 अक्टूबर 2023 से एपीडा द्वारा अनुबंधों के पंजीकरण के लिए आधार मूल्य को घटाकर 950 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन करने का निर्णय लिया।

(ग) और (घ) जी, हां। बासमती निर्यात के लिए संविदाओं के पंजीकरण के लिए आधार मूल्य में संशोधन पर विचार करते समय व्यापक विचार-विमर्श किया गया था। सरकार ने इस संबंध में एक समिति का गठन किया था, जिसने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश स्थित बासमती निर्यातकों और व्यापार/उद्योग संघों के साथ बैठकें की थीं

दिनांक 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
टीएमए योजना

1809. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) योजना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए प्रति टीईयू (बीस फुट समतुल्य यूनिट) भुगतान की जा रही राशि भारतीय निर्यातकों द्वारा अब भुगतान की जा रही माल ढुलाई राशि की तुलना में बहुत कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;
- (ख) क्या सरकार की विश्व स्तर पर भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्यात की सभी पात्र मर्दों तक टीएमए योजना का विस्तार करने की कोई योजना है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार महामारी के दौरान भारतीय निर्यातकों को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए टीएमए योजना को विनिर्दिष्ट दो वर्षों से आगे बढ़ाने जा रही है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ.) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) योजना वाणिज्य विभाग की दिनांक 25 मार्च, 2022 की अधिसूचना संख्या 17/2/2021 -ईपी (कृषि IV) के माध्यम से पहले ही बंद कर दी गई थी। इस समय, स्कीम के विस्तार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दिनांक 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क

1816. श्री राजकुमार चाहर:

श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) हाल ही में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा हस्तांतरित आई.पी. ई. एफ आपूर्ति श्रृंखला समझौता का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) पिलर - III (स्वच्छ अर्थव्यवस्था) पिलर - IV (निष्पक्ष अर्थव्यवस्था) के लिए समझौते से देश की सम्पन्नता के लिए इंडो-पैसिफिक आर्थिक फ्रेमवर्क संबंधी समझौता से देश को किस प्रकार लाभ होगा?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): भारत सहित आईपीईएफ भागीदारों ने दिनांक 14 नवंबर, 2023 को आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन से संबंधित समृद्धि (आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला समझौते) समझौते के लिए भारत-प्रशांत आर्थिक ढांचे पर हस्ताक्षर किए। आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला समझौता अपनी तरह का पहला बहुपक्षीय समझौता है जिसका उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं का लचीलापन, दक्षता, उत्पादकता, स्थिरता, पारदर्शिता, विविधीकरण, सुरक्षा, निष्पक्षता और समावेशिता को बढ़ाना है। इसमें आईपीईएफ भागीदारों को आपूर्ति श्रृंखलाओं पर एक साथ कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने की मांग की गई है, जिसमें क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की गहरी साझा समझ विकसित करना, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के लिए संकट प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार करना, आपूर्ति श्रृंखला के अवसरों और कमजोरियों पर जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, व्यवसाय मैचिंग और निवेश को सुकर बनाना, एमएसएमई का समर्थन करना, संयुक्त अनुसंधान और विकास की सुविधा प्रदान करना, महत्वपूर्ण क्षेत्रों और

प्रमुख वस्तुओं में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन को बढ़ावा देना, और आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखलाओं में श्रम अधिकारों और कार्यबल विकास को बढ़ावा देना शामिल है।

(ख): आईपीईएफ स्तंभ-III (स्वच्छ अर्थव्यवस्था) समझौता से अक्षय ऊर्जा और अन्य पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आंतरिक विदेशी निवेश को सुकर बनाने की आशा है। यह स्तंभ आईपीईएफ स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेश मंच और आईपीईएफ उत्प्रेरक पूंजी निधि के शुभारंभ सहित जलवायु अनुकूल परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहलों पर बल देता है। स्तंभ आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की प्रतिबद्धताओं पर भी बल देता है, जिससे भारत को व्यवधानों को रोकने और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे इनपुट के लिए एकमात्र आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने में सहायता मिलती है।

आईपीईएफ स्तंभ-IV (निष्पक्ष अर्थव्यवस्था) समझौते में व्यापार करने में आसानी में सुधार, व्यवसायों के लिए एक पारदर्शी और अनुमानित पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करके निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने, साझेदार क्षेत्राधिकारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके संपत्ति वसूली का समर्थन करने और सीमा पार जांचों तथा अभियोजनों को मजबूत करने एवं भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के वित्तपोषण के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए वैश्विक संकल्प की परिकल्पना की गई है।

समृद्धि के लिए भारत-प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क समझौते में मंत्रिस्तरीय तंत्र स्थापित किए गए हैं, जो आईपीईएफ स्तंभों के तहत वार्ता किए गए समझौतों के अन्तर्गत काम की निगरानी करेंगे, जिससे कि दोहराव और संभावित संघर्षों को कम करने के तरीकों की पहचान की जा सके और उन समझौतों के बीच या उसकी दिशा में कार्य को सक्षम किया जा सके।

दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात/आयात

1775 : डॉ. के. जयकुमार:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2014 से वास्तविक मात्रा में वर्ष-वार कितना निर्यात और आयात हुआ है;
- (ख) ऐसे निर्यात और आयात का मदवार ब्यौरा क्या है जिसका कुल वार्षिक निर्यात तथा आयात का हिस्सा लगभग 10 प्रतिशत है;
- (ग) क्या निर्यात के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है; और
- (घ) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): वर्ष 2013-14 से समग्र (उत्पाद और सेवाएं) निर्यात और आयात के वर्षवार मूल्य का विवरण निम्नानुसार है:

भारत का समग्र व्यापार (मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में)		
वर्ष	निर्यात	आयात
2013-14	466.22	528.95
2014-15	468.45	529.61
2015-16	416.60	465.64
2016-17	440.05	480.21
2017-18	498.61	583.11
2018-19	538.08	640.09
2019-20	526.55	602.98
2020-21	497.90	511.96
2021-22	676.53	760.06
2022-23	776.40	898.01

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

विभिन्न वस्तुओं की निर्यातित/आयातित मात्रा अलग-अलग इकाइयों में है, अतः योगात्मक नहीं है।

(ख): पिछले वर्ष के दौरान शीर्ष 5 प्रमुख वस्तुओं के व्यापारिक निर्यात का विवरण निम्नानुसार है:

मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में						
क्र.सं.	वस्तु	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (अप्रैल-अक्टूबर)	% हिस्से दारी
1	इंजीनियरिंग वस्तुएँ	76.7	112.2	107.0	61.6	23.7
2	पेट्रोलियम उत्पाद	25.8	67.5	97.5	47.9	21.6
3	रत्न और आभूषण	26.0	39.1	38.0	18.6	8.4
4	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	22.1	29.4	30.3	15.6	6.7
5	औषधियाँ और फार्मास्यूटिकल्स	24.4	24.6	25.4	15.8	5.6

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, (2023-24 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं)

पिछले वर्ष के दौरान शीर्ष 5 प्रमुख वस्तुओं के व्यापारिक आयात का विवरण निम्नानुसार है:

मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में						
क्र.सं.	वस्तु	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (अप्रैल-अक्टूबर)	% हिस्से दारी
1	पेट्रोलियम क्रूड और उत्पाद	82.7	161.8	209.4	98.7	29.2
2	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ	54.3	73.7	77.3	51.3	10.8
3	कोयला, कोक और ब्रिकेट आदि	16.3	31.7	49.7	22.5	6.9
4	मशीनरी, विद्युत और गैर-विद्युत	30.1	39.9	45.4	28.7	6.3
5	सोना	34.6	46.2	35.0	29.5	4.9

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, (2023-24 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं)

(ग) और (घ): पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय निर्यात में अधिक मूल्य वर्धित और उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे इंजीनियरिंग वस्तुएँ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, फार्मास्यूटिकल उत्पाद आदि पर बल दिया गया है। सभी निर्यात क्षेत्रों के निष्पादन का मूल्यांकन और नीतिगत समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और सरकार द्वारा समय-समय पर प्रभावी आर्थिक/व्यापारिक परिदृश्य और दुनिया की तुलना में भारत की प्रतिस्पर्धा की स्थिति के आधार पर कदम उठाए जाते हैं। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च, 2023 को लॉन्च की गई है और यह 1 अप्रैल, 2023 से लागू है।
- पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी 30.06.2024 तक बढ़ाया गया है।
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।
- श्रम उन्मुख क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से कार्यान्वित की गई है।
- निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है। दिनांक 15.12.2022 से, पूर्व में शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों जैसे फार्मास्यूटिकल्स,

कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन और लोहा एव इस्पात की वस्तुओं को आरओडीटीईपी के तहत शामिल किया गया है। इसी प्रकार से, 432 प्रशुल्क लाइनों में विसंगतियों का समाधान किया गया है और संशोधित दरों को दिनांक 16.01.2023 से लागू किया गया है।

- (vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।
- (vii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके, इन उत्पादों का निर्यात करने में आने वाली अड़चनों को दूर करके और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जिलों को निर्यात हब के रूप में लांच किया गया है।
- (viii) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने की दिशा में विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।
- (ix) विदेशों में वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डों/प्राधिकरणों और उद्योग संघों के साथ निर्यात प्रदर्शन की नियमित निगरानी और समय-समय पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

माल निर्यात

1778 : प्रो. सौगत राय:

श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पिछले कई महीनों से माल निर्यात में लगातार गिरावट आई है;
- (ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष से देश से माल निर्यात का माह-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) माल निर्यात में गिरावट के क्या कारण हैं;
- (घ) माल निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ङ) पिछले एक वर्ष से आयात का माह-वार ब्यौरा क्या है; और
- (च) पिछले एक वर्ष के दौरान निर्यात और आयात के बीच अंतर का माह-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (च): पिछले एक वर्ष के दौरान व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात, आयात और निर्यात तथा आयात के बीच अंतर का माह-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

माह	(मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में)				
	निर्यात		आयात		अंतर-2023
	2022	2023	2022	2023	
जनवरी	35.23	35.8	52.57	52.83	-17.03
फरवरी	37.15	37.01	55.9	53.58	-16.57
मार्च	44.57	41.96	63.09	60.92	-18.96
अप्रैल	39.7	34.65	58.06	49.06	-14.41
मई	39	34.97	61.13	57.48	-22.51
जून	42.28	34.35	64.35	53.47	-19.12
जुलाई	38.34	34.51	63.77	52.95	-18.44
अगस्त	37.02	38.42	61.88	60.42	-22
सितम्बर	35.39	34.46	63.37	53.84	-19.37
अक्तूबर	31.6	33.54	57.91	63.45	-29.91

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में गिरावट के कारणों में पिछले वर्ष का उच्च आधार, रूस-यूक्रेन संघर्ष सहित निरंतर भू-राजनितिक तनाव और मंदी की आशंकाओं के साथ मौद्रिक सख्ती शामिल हैं, जिनके कारण उन्नत देशों में उपभोक्ता खर्च में गिरावट आयी है और परिणामस्वरूप मांग में

मंदी आयी है। पेट्रोलियम, कोयला आदि वस्तुओं की कीमतों में गिरावट ने भी इसमें योगदान दिया है।

सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- (i) नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च, 2023 को लॉन्च की गई है और यह 1 अप्रैल, 2023 से लागू है।
- (ii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी 30.06.2024 तक बढ़ाया गया है।
- (iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।
- (iv) श्रम उन्मुख क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से कार्यान्वित की गई है।
- (v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है। दिनांक 15.12.2022 से शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों जैसे फार्मास्युटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन और लोहा एवं इस्पात की वस्तुओं को आरओडीटीईपी के तहत लाया गया है। इसी प्रकार से, 432 प्रशुल्क लाइनों में विसंगतियों का समाधान किया गया है और संशोधित दरों को दिनांक 16.01.2023 से लागू किया गया है।
- (vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।
- (vii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके, इन उत्पादों का निर्यात करने में आने वाली अड़चनों को दूर करके और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जिलों को निर्यात हब के रूप में लांच किया गया है।
- (viii) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने की दिशा में विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।
- (ix) विदेश में स्थित वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डों/प्राधिकरणों और उद्योग संघों के साथ निर्यात निष्पादन की नियमित निगरानी और समय-समय पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

दिनांक: 13 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
निर्यात संवर्धन

1796 कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई निर्यात संवर्धन पहलों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) मंत्रालय द्वारा बड़े घरेलू बाजार के विकास को अधिकतम करने और विश्व स्तर पर इसकी पहुंच का विस्तार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
- (ग) ई-कॉमर्स निर्यात संवर्धन के लिए सरकार द्वारा की जा रही पहलों के बारे में विशिष्ट ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) एवं (ख) सरकार ने भारत की वस्तुओं के निर्यात को बेहतर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- (i) नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च, 2023 को लॉन्च की गई है और यह दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू है।
- (ii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी 2500 करोड़ रु. के अतिरिक्त आवंटन के साथ दिनांक 30.06.2024 तक बढ़ाया गया है।
- (iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।
- (iv) श्रम उन्मुख क्षेत्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से लागू की गई है।
- (v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है। दिनांक 15.12.2022 से, फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन और लोहे और इस्पात के सामान जैसे शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों को आरओडीटीईपी के तहत शामिल किया गया है। इसी तरह, 432 टैरिफ लाइनों में विसंगतियों को दूर कर दिया गया है और संशोधित दरों को 16.01.2023 से लागू कर दिया गया है।

- (vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।
- (vii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए अड़चनों को दूर करने और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जिलों को निर्यात हब पहल के रूप में लॉन्च किया गया है।
- (viii) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।
- (ix) विदेश में स्थित वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डों/प्राधिकरणों और उद्योग संघों के साथ नियमित रूप से निर्यात निष्पादन की निगरानी और समय-समय पर सुधारात्मक उपाए किए जाते हैं।

(ग) विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 में एक नया अध्याय शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य सरकार की विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों की सीमा के तहत ऐसे निर्यातकों को लाकर ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना है। एफटीपी 2023 में ई-कॉमर्स निर्यात पर दिए गए विशेष बल के अनुरूप, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, विभिन्न संबंधित केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभाग जैसे डाक विभाग, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी), बैंक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), निर्यात संवर्धन परिषद्, स्थानीय व्यापार संगठन/चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जिला उद्योग केन्द्र आदि सहित विभिन्न हितधारकों के सहयोग से जिलों से पहचानी गई वस्तुओं के ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ निर्यात हब पहल के तहत जिलों में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

दिनांक 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

कृषि निर्यात नीति, 2018

1692. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कृषि निर्यात में गिरावट को देखते हुए कृषि निर्यात नीति, 2018 अपने घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) भारत के कृषि निर्यातों में हावी फसलों का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) देश के किसानों पर घटते कृषि निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है और
- (च) कृषि निर्यातों में वृद्धि करने में मंत्रालय को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ.) : दिसंबर 2018 में कृषि निर्यात नीति (एईपी) की शुरुआत के बाद, कृषि निर्यात ने 2019-20 में 35.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2022-23 में 53.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पर्याप्त वृद्धि दर्ज की है। एईपी के विभिन्न उद्देश्यों को साकार करने में प्रगति हुई, जैसे निर्यात बास्केट और गंतव्यों में विविधता लाना; अप्रतिम, स्वदेशी, जैविक, नृजातीय, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना; बाजार पहुंच, व्यापार बाधाओं, स्वच्छता और पादप स्वच्छता संबंधी मुद्दों से निपटना; वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण; किसानों को निर्यात बाजार संपर्क प्रदान करने आदि ने कृषि निर्यात में वृद्धि में योगदान दिया है।

प्राथमिक और मूल्य वर्धित उत्पादों को शामिल करके बने भारत की कृषि निर्यात बास्केट से जो फसलें भारत के कृषि निर्यात का पर्याप्त हिस्सा हैं, वे गैर-बासमती चावल, बासमती चावल, मसाले, ताजे फल और ताजी सब्जियां आदि हैं।

(च) कृषि उत्पादों के निर्यात में आने वाली मुख्य चुनौतियाँ बड़े घरेलू उपभोग आधार के कारण निर्यात योग्य अधिशेष की उपलब्धता में स्थिरता को प्रभावित करने वाले उत्पादन में भिन्नता; मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता; आयातक देशों की सख्त गुणवत्ता आवश्यकताएँ; बाज़ार पहुंच संबंधी मुद्दे आदि हैं।

वाणिज्य विभाग बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड आदि की निर्यात संवर्धन योजनाओं के माध्यम से खाद्य उत्पादों के निर्यात सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक संगठन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। एपीडा अपनी निर्यात संवर्धन योजना के विभिन्न घटकों के तहत खाद्य उत्पादों के निर्यातकों को सहायता प्रदान कर रहा है।

किसानों, किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों को निर्यातकों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक किसान कनेक्ट पोर्टल भी विकसित किया गया है। निर्यात-बाज़ार संपर्क प्रदान करने के लिए समूहों में क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित की जाती हैं। निर्यात के अवसरों का आकलन करने और उनका लाभ उठाने के लिए, विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित बातचीत की जाती है। भारतीय मिशनों के माध्यम से देश-विशिष्ट बीएसएम भी आयोजित किए जाते हैं। बाज़ार पहुंच, व्यापार बाधाओं, स्वच्छता और पादप स्वच्छता संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

दिनांक 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

अन्तर्राष्ट्रीय कमोडिटी समझौते

1755. डॉ. थोल तिरुमावलवन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी समझौतों का ब्यौरा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी समझौतों के माध्यम से अधिक आयात करता है या अधिक निर्यात करता है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत ने तीन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) किए हैं, जिनमें वस्तु व्यापार समझौते, अर्थात् (1) भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (सीईसीपीए), (2) भारत-यूई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) और (3) भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए) भी शामिल हैं।

किसी देश का व्यापार संतुलन संबंधित आर्थिक विकास पैटर्न सहित कई कारकों पर निर्भर करता है।

दिनांक 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

विशेष आर्थिक क्षेत्र

1803 श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के तहत राज्य-वार कितने क्षेत्र चिह्नित हैं और उक्त क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार, बिहार राज्य के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए वहां पर विशेष आर्थिक क्षेत्र के तहत क्षेत्र को चिह्नित करने और विकसित करने की योजना पर काम कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उक्त स्थानों के नाम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार को इस प्रावधान के तहत ऐसे विकसित क्षेत्रों से प्रति वर्ष वर्ष वार कितना राजस्व प्राप्त हुआ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियम से पहले केंद्र सरकार के 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और 12 राज्य/निजी क्षेत्र के एसईजेड थे। वर्तमान में, कुल 374 एसईजेड अधिसूचित हैं, जिनमें से 276 एसईजेड प्रचालनात्मक हैं। एसईजेड का राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग): एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 के तहत स्थापित किए गए एसईजेड मुख्य रूप से निजी निवेश संचालित हैं। एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियम के बाद केंद्र सरकार ने देश में कोई एसईजेड स्थापित नहीं किया है। वाणिज्य विभाग को मैसर्स

औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीआईएडीए), उद्योग विभाग, बिहार सरकार से औद्योगिक क्षेत्र, नवानगर , बक्सर में और औद्योगिक क्षेत्र, कुमारबाग , पश्चिम चंपारण में बहु-उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । तथापि, प्रस्ताव कई पहलुओं में अधूरे हैं। बिहार सरकार से सेज कानून के अनुरूप पूरा प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है.

(घ): पिछले पांच वर्षों के दौरान एसईजेड से सरकार को प्राप्त राजस्व, वर्ष-वार इस प्रकार है:

घरेलू टैरिफ क्षेत्र बिक्री लेनदेन के लिए शुल्क से वर्ष-वार राजस्व	
वर्ष	भुगतान की गई शुल्क राशि (करोड़ रुपये)
2018-19	24,504
2019-20	20,735
2020-21	26,056
2021-22	40,157
2022-23	41,962
2023-24 (6 दिसंबर, 2023 तक)	32,995

13 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1803 के भाग (क)
के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुमोदित एसईजेड का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार वितरण (30.11.2023 तक)		
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कुल अधिसूचित एसईजेड	कुल प्रचालनात्मक एसईजेड
आंध्र प्रदेश	30	25
चंडीगढ़	2	2
छत्तीसगढ़	1	1
गोवा	3	0
गुजरात	24	21
हरियाणा	22	8
झारखंड	2	1
कर्नाटक	52	36
केरल	23	20
मध्य प्रदेश	8	6
महाराष्ट्र	44	38
मणिपुर	1	0
नागालैंड	2	0
ओडिशा	5	5
पंजाब	3	3
राजस्थान	6	3
तमिलनाडु	58	49
तेलंगाना	56	37
त्रिपुरा	1	0
उत्तर प्रदेश	23	14
पश्चिम बंगाल	8	7
कुल योग	374	276
